(311) (434)

अपील -5264/2018/रीवा/भू-रा०

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित / विलोपित

1. बुटान यादव पति रामलाल यादव उम्र 55 साल पेशा खेती
2. रामसजीवन यादव पिता राम लाल यादव उम्र 40 साल पेशा खेती

निवासी ग्राम क्योटी,तहसील सिरमौर,जिला रीवा म0प्र0

........उत्तरवादीगण/अपीलार्थीगण

अधि० श्री अनन्त त्रिपाठी
ग्राह्यता 29-8-18

बनाम

1. मणिराज सिह पिता बिश्वनाथ सिहं निवासी ग्राम क्योटी(भरवीर) तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
2. म0प्र0शासन द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

...........अनावेदकगण/प्रत्यर्थीगण

न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0के द्वारा राजस्व मामला कमांक 320/अपील/15-16 मणिराज बनाम बुटान वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 25.7.2018 के बिरूद्ध द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0रा0सं0

महोदय,

**अपील का सूक्ष्म बिवरण :-**

प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय मे इस आशय का आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 को शासकीय आराजी नम्बर 901/1 जिसका रकवा 3.721हे. है को तहसीलदार द्वारा सन 1984 मे आवास योजना के तहत पटटा 30×30 वर्ग फिट का प्रदान किया

(311)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक A 5264/ग्र.नि./2018 जिला– रीवा

बुद्धान यादव विरूद्ध मणिराजसिंह

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 16-1-19 | 1. आवेदक की ओर से श्री अनन्त त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 320/अपील 115-16 में पारित आदेश दिनांक 25-7-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29-8-2018 प्रस्तुत की गयी है।<br>2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।<br>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।<br>सदस्य | |

मे आवास योजना के तहत पट्टा 30×30 वर्ग फिट का प्रदान किया